

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.7.5; पृष्ठ 13)

31 मार्च 2025 तक राजस्व सेक्टर पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के लिए
लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण

क्र. सं.	लोक लेखा समिति रिपोर्ट	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	31 मार्च 2025 को लोक लेखा समिति की लंबित सिफारिशें
1.	22 ^{वाँ}	1979-80	1
2.	23 ^{वाँ}	1980-81	3
3.	25 ^{वाँ}	1981-82	1
4.	28 ^{वाँ}	1983-84	1
5.	29 ^{वाँ}	1984-85	5
6.	32 ^{वाँ}	1985-86	2
7.	34 ^{वाँ}	1986-87	5
8.	36 ^{वाँ}	1987-88	1
9.	38 ^{वाँ}	1988-89	7
10.	40 ^{वाँ}	1989-90	13
11.	42 ^{वाँ}	1990-91, 1991-92, 1992-93	20
12.	44 ^{वाँ}	1990-91, 1991-92, 1992-93	32
13.	46 ^{वाँ}	1993-94	7
14.	48 ^{वाँ}	1993-94, 1994-95	8
15.	50 ^{वाँ}	1993-94, 1994-95, 1995-96	22
16.	52 ^{वाँ}	1996-97	26
17.	54 ^{वाँ}	1997-98	33
18.	58 ^{वाँ}	1998-99 एवं 1999-2000	55
19.	60 ^{वाँ}	2000-01	29
20.	62 ^{वाँ}	2001-02	38
21.	63 ^{वाँ}	2002-03	30
22.	64 ^{वाँ}	2003-04	42
23.	65 ^{वाँ}	2004-05	34
24.	67 ^{वाँ}	2005-06	44
25.	68 ^{वाँ}	2006-07 एवं 2007-08	82
26.	70 ^{वाँ}	2008-09	46
27.	71 ^{वाँ}	2009-10	42
28.	72 ^{वाँ}	2010-11	20
29.	73 ^{वाँ}	2011-12	19
30.	74 ^{वाँ}	2013-14	39
31.	75 ^{वाँ}	2012-13	33
32.	78 ^{वाँ}	2014-15	46
33.	82 ^{वाँ}	2015-16	39
34.	84 ^{वाँ}	2016-17	39
35.	85 ^{वाँ}	2017-18	54
36.	86 ^{वाँ}	2018-19	33
37.	87 ^{वाँ}	2019-20	20
38.	90 ^{वाँ}	2020-21	33
		योग	1,004

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.7.5; पृष्ठ 13)

31 मार्च 2025 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां/सेक्टर) के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों का विभागवार विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	कुल बकाया सिफारिशें
1	आबकारी एवं कराधान	577
2	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	227
3	खनन एवं भू-विज्ञान	70
4	कृषि	39
5	सिंचाई	2
6	विद्युत (मुख्य विद्युत निरीक्षक)	4
7	जन स्वास्थ्य	1
8	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	1
9	परिवहन	40
10	वित्त (लॉटरी)	4
11	सहकारी	21
12	वन	4
13	गृह	6
14	उद्योग	3
15	सामान्य	1
16	नगर एवं ग्राम आयोजना	4
	योग	1,004

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.1; पृष्ठ 13)

आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य आबकारी) के निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निपटान			वर्ष के दौरान अंतिम शेष		
	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	धन मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	धन मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	धन मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	धन मूल्य
2014-15	116	201	72.47	35	93	84.78	24	49	22.58	127	245	134.67
2015-16	127	245	134.67	25	57	22.1	6	21	2.75	146	281	154.02
2016-17	146	281	154.02	22	50	39.06	23	79	31.43	145	252	161.65
2017-18	145	252	161.65	34	75	19.7	19	60	41.82	160	267	139.53
2018-19	160	267	139.53	25	72	48.61	6	18	18.89	179	321	169.25
2019-20	179	321	169.25	15	38	21.95	10	12	6.29	184	347	184.91
2020-21	184	347	184.91	33	74	85.05	11	17	4.85	206	404	265.11
2021-22	206	404	265.11	29	64	79.51	2	5	0.37	233	463	344.25
2022-23	233	463	344.25	20	119	199.66	4	85	135.42	249	497	408.49
2023-24	249	497	408.49	12	42	77.3	1	2	0.01	260	537	485.78

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.2; पृष्ठ 13)

स्वीकृत मामलों की वसूली

संदर्भ मामले आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य आबकारी)

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों/ निष्पादन लेखापरीक्षा की संख्या	अनुच्छेदों का धन मूल्य	स्वीकृत अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकृत अनुच्छेदों का धन मूल्य	प्रतिवेदन के वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	अब तक स्वीकृत मामलों की वसूली की संचयी स्थिति
2012-13	3	12.15	3	12.15	0.44	4.2
2013-14	2	24.87	2	24.87	0.37	6.91
2014-15	2	20.44	2	20.44	5.07	9.36
2015-16	01 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	60.56	01 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	60.56	11.58	21.23
2016-17	2	5.08	2	5.08	0.09	3.23
2017-18	5	9.59	5	9.59	0.26	4.57
2018-19	2	8.23	2	8.23	0.17	0.75
2019-20	2	1.97	2	1.97	0.26	1.03
2020-21	2	123.51	2	123.51	2.02	16.3
2021-22	1	7.46	1	7.46	-	4.17
योग	21	213.3	21	213.3	8.68	50.52
	01 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	60.56	01 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	60.56	11.58	21.23
कुल योग	22 (एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित)	273.86	22	273.86	20.26	71.75

$$26.20 \text{ प्रतिशत} = 71.75/273.86 \times 100$$

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.5; पृष्ठ 19)

विस्तृत लेखापरीक्षा करदाताओं की सूची

क्र.सं.	जी.एस.टी.आई.एन.	डी.सी.एस.टी.
1	06BDxxxxxxxC1Z0	अंबाला
2	06AAxxxxxxxA1ZR	अंबाला
3	06AAxxxxxxJ1ZF	अंबाला
4	06AAxxxxxxQ1Z5	भिवानी
5	06AWxxxxxxD1Z9	भिवानी
6	06AXxxxxxxN1Z8	भिवानी
7	06AAxxxxxxG1Z9	भिवानी
8	06AAxxxxxxM2ZN	फरीदाबाद (पूर्व)
9	06AAxxxxxxM1Z5	फरीदाबाद (पूर्व)
10	06AAxxxxxxR1ZH	फरीदाबाद (पूर्व)
11	06AAxxxxxxD1ZQ	फरीदाबाद (पूर्व)
12	06AAxxxxxxN1ZW	फरीदाबाद (पूर्व)
13	06AAxxxxxxD1ZQ	गुरुग्राम (पूर्व)
14	06AAxxxxxxG1ZP	गुरुग्राम (पूर्व)
15	06AAxxxxxxG1ZL	गुरुग्राम (पूर्व)
16	06AAxxxxxxB1ZY	गुरुग्राम (दक्षिण)
17	06AAxxxxxxP1ZX	गुरुग्राम (दक्षिण)
18	06ADxxxxxxL1ZM	गुरुग्राम (दक्षिण)
19	06AQxxxxxxL1ZP	गुरुग्राम (दक्षिण)
20	06AAxxxxxxF1ZG	गुरुग्राम (दक्षिण)
21	06ABxxxxxxK1ZJ	हिसार
22	06AAxxxxxxG1Z5	हिसार
23	06AAxxxxxxJ1Z9	हिसार
24	06AAxxxxxxQ1ZY	हिसार
25	06AAxxxxxxH1Z8	रेवाड़ी
26	06BWxxxxxxL2ZK	रेवाड़ी
27	06AYxxxxxxQ1ZJ	रेवाड़ी
28	06AAxxxxxxC1ZR	सोनीपत
29	06AAxxxxxxC2Z4	सोनीपत
30	06AAxxxxxxJ1ZS	सोनीपत

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.7.1; पृष्ठ 22)

अभिलेख प्रस्तुत न करने के कुल मामले

क्र.सं./आ.सं.	जी.एस.टी.आई.एन.	आयुक्तालय	वर्ष	आर2ए और आर3बी में विसंगति के कारण आईटीसी का अधिक लाभ उठाना	जीएसटीआर-9 में विसंगति के कारण आईटीसी का अधिक लाभ उठाना	वार्षिक रिटर्न में घोषित राशि की तुलना में ईसीएल में अधिक आईटीसी का लाभ उठाना	आर2ए और आर9 (8ए) में विसंगति के कारण आईटीसी का अधिक लाभ उठाना	प्राप्त किया गया कुल आई.टी.सी.	रिटर्न (जीएसटीआर-1/ जीएसटीआर-3बी/ जीएसटीआर-9) के अनुसार कर देयता की कम घोषणा	आर.सी.एम. के तहत कर का कम भुगतान	कर देयता	प्रस्तुत न किए गए अभिलेखों की सूची
1	06BDxxxxxxxxC1Z0	अंबाला	2020-21	4,20,329	0	7,39,387	28,052	11,87,768	13,16,248	0	13,16,248	करार/अनुबंध, बिक्री इनवॉइस, खरीद इनवॉइस, पूर्ण तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा, व्यापारिक लेखा आदि
		अंबाला	2021-22	0	0	5,579	9,748	15,327	85,037	0	85,037	
2	06AAxxxxxxxxA1ZR	अंबाला	2020-21	0	59,97,718	1,58,13,364	0	2,18,11,082	0	0	0	
		अंबाला	2021-22	4,23,15,165	0	4,75,90,132	0	8,99,05,297	0	0	0	
3	06AAxxxxxxxxJZF	अंबाला	2020-21	0	0	0	0	0	0	0	0	
		अंबाला	2021-22	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	06AAxxxxxxxxQ1Z5	भिवानी	2020-21	0	0	0	0	0	0	0	0	
		भिवानी	2021-22	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	06AWxxxxxxxxD1Z9	भिवानी	2020-21	0	0	0	0	0	0	0	0	
		भिवानी	2021-22	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	06AXxxxxxxxxN1Z8	भिवानी	2020-21	0	3,00,619	0	2,56,002	5,56,621	12,75,984	0	12,75,984	
		भिवानी	2021-22	0	10,14,240	0	0	10,14,240	0	0	0	
7	06AAxxxxxxxxG1Z9	भिवानी	2020-21	0	0	3,82,074	3,67,856	7,49,930	0	0	0	
		भिवानी	2021-22	0	0	21,64,210	0	21,64,210	0	0	0	
8	06AAxxxxxxxxM2ZN	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	0	0	7,132	1,22,194	1,29,326	0	0	0	
		फरीदाबाद (पूर्व)	2021-22	0	0	25,09,452	40,493	25,49,945	0	0	0	
9	06AAxxxxxxxxM1Z5	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	0	0	0	0	0	0	0	0	
		फरीदाबाद (पूर्व)	2021-22	0	0	3,51,684	0	3,51,684	0	0	0	

करदाताओं की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	आयुक्तालय	वर्ष	आर2ए और आर3बी में विसंगति के कारण आईटीसी का अधिक लाभ उठाना	जीएसटीआर-9 में विसंगति के कारण आईटीसी का अधिक लाभ उठाना	वार्षिक रिटर्न में घोषित राशि की तुलना में ईसीएल में अधिक आईटीसी का लाभ उठाना	आर2ए और आर9 (8ए) में विसंगति के कारण आईटीसी का अधिक लाभ उठाना	प्राप्त किया गया कुल आई.टी.सी.	रिटर्न (जीएसटीआर-1/ जीएसटीआर-3बी/ जीएसटीआर-9) के अनुसार कर देयता की कम घोषणा	आर.सी.एम. के तहत कर का कम भुगतान	कर देयता	प्रस्तुत न किए गए अभिलेखों की सूची
10	06AAxxxxxxxxR1ZH	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	0	0	0	0	0	0	0	0	
		फरीदाबाद (पूर्व)	2021-22	0	0	0	65,052	65,052	0	0	0	
11	06AAxxxxxxxxD1ZQ	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	0	0	0	0	0	0	0	0	
		फरीदाबाद (पूर्व)	2021-22	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	06AAxxxxxxxxN1ZW	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	0	0	0	0	0	0	0	0	
		फरीदाबाद (पूर्व)	2021-22	0	64,36,630	0	59,22,949	1,23,59,579	0	0	0	
13	06AAxxxxxxxxG1ZP	गुरगाम (पूर्व)	2020-21	0	0	12,97,13,260	0	12,97,13,260	0	27,77,193	27,77,193	
		गुरगाम (पूर्व)	2021-22	0	0	7,80,30,835	0	7,80,30,835	0	0	0	
14	06AAxxxxxxxxG1ZL	गुरगाम (पूर्व)	2020-21	0	0	41,16,889	0	41,16,889	0	27,500	27,500	
		गुरगाम (पूर्व)	2021-22	0	0	1,66,09,035	0	1,66,09,035	24,52,954	1,28,545	25,81,499	
15	06AAxxxxxxxxB1ZY	गुरगाम (दक्षिण)	2020-21	0	0	0	0	0	2,34,333	0	2,34,333	
		गुरगाम (दक्षिण)	2021-22	0	0	63,51,622	0	63,51,622	0	0	0	
16	06AAxxxxxxxxP1ZX	गुरगाम (दक्षिण)	2020-21	0	0	0	0	0	0	0	0	
		गुरगाम (दक्षिण)	2021-22	0	0	0	0	0	7,18,905	0	7,18,905	
17	06ADxxxxxxxxL1ZM	गुरगाम (दक्षिण)	2020-21	0	2,70,081	0	0	2,70,081	13,730	0	13,730	
		गुरगाम (दक्षिण)	2021-22	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	06AQxxxxxxxxL1ZP	गुरगाम (दक्षिण)	2020-21	0	0	0	0	0	0	0	0	
		गुरगाम (दक्षिण)	2021-22	0	0	0	0	0	0	0	0	
			योग	4,27,35,494	1,40,19,288	30,43,84,655	68,12,346	36,79,51,783	60,97,191	29,33,238	90,30,429	

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.7.2 (क); पृष्ठ 23)

कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं पर छूट/रियायती दरों का गलत लाभ उठाना

क्र.सं.	मात्रा की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	करयोग्य राशि	कर का भुगतान किया गया	कर देयता का भुगतान किया जाना है	कम भुगतान किया गया	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8-7)	10	11	12
1	1	06AAxxxxxxxG1ZP	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	1,91,71,84,812	14,37,88,822	34,50,93,266.2	20,13,04,444	ओ.बी.एस.-1836757	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता आवसीय और वाणिज्यिक दोनों निर्माण सेवाओं की आपूर्ति कर रहा है और अधिसूचना संख्या 03/2019 के अनुसार, करदाता ने आवसीय और वाणिज्यिक आर्इपी निर्माण कार्य की आपूर्ति के लिए क्रमशः 7.50% और 18% की दर से अपनी देयता का सही ढंग से भुगतान किया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि करदाता के पास राज्य के भीतर और बाहर केवल एक पैन पर आधारित जीएसटीआईएन है और प्रोफाइल में व्यवसाय का केवल एक अतिरिक्त स्थान घोषित किया गया है। इसके अलावा, अधिसूचना संख्या 03/2019 की प्रविष्टि (ए) और (डी) के अनुसार, यदि करदाता ने 7.50% की दर से कर का भुगतान किया है, तो आईटीसी का लाभ नहीं मिलता है। अतः, आईटीसी को आनुपातिक रूप से रिवर्स किया जाना चाहिए था, लेकिन दोनों वर्षों में किया गया आईटीसी रिवर्सल आवश्यकता से कम था।
2	2	06AAxxxxxxxJ1ZS	सोनीपत	2020-21	10,20,03,344	1,22,40,398	1,83,60,601.92	61,20,204	ओ.बी.एस.-1858219	डीआरसी-01 दिनांक 24.03.2025 को जारी किया गया।	स्वीकृत
3	3	06AAxxxxxxxJ1ZS	सोनीपत	2021-22	2,52,86,681	3,03,44,01.72	45,51,602.58	15,17,201	ओ.बी.एस.-1858219	डीआरसी-01 दिनांक 24.03.2025 को जारी किया गया।	स्वीकृत
4	4	06AAxxxxxxxM1Z5	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	14,85,59,075	74,27,953	2,67,40,633.5	1,93,12,681	ओ.बी.एस.-1894081	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि मामले को धारा 61 के तहत संवीक्षा मूल्यांकन के लिए लिया गया है।	स्वीकृत
5	5	06AAxxxxxxxM1Z5	फरीदाबाद (पूर्व)	2021-22	1,12,08,478	5,60,424	20,17,526.04	14,57,102	ओ.बी.एस.-1894081	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि मामले को धारा 61 के तहत संवीक्षा मूल्यांकन के लिए लिया गया है।	स्वीकृत
6	6	06AAxxxxxxxR1ZH	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	5,37,06,681.00	64,44,802	96,67,202.58	32,22,401	ओ.बी.एस.-1894141	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को धारा 74 के तहत डीआरसी-01 जारी किया गया था।	स्वीकृत
7	7	06AAxxxxxxxR1ZH	फरीदाबाद (पूर्व)	2021-22	1,68,97,372.00	20,27,686	30,41,526.96	10,13,841	ओ.बी.एस.-1894141	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया था	स्वीकृत
					₹ 2,27,48,46,443	₹ 17,55,24,487	₹ 40,94,72,360	₹ 23,39,47,873			

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.7.2 (ख) (i); पृष्ठ 25)

प्राप्त अग्रिम पर भुगतान न की गई कर देयता

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	बैलेंस शीट या बही के अनुसार अग्रिम	रिटर्न में घोषित अग्रिम	अग्रिम जिस पर जीएसटीआर-1 (11ए-1बी) के अनुसार कर देय था	अग्रिम जिस पर जीएसटीआर-9(4एफ) में कर का भुगतान किया गया	करयोग्य राशि	18 प्रतिशत की दर पर कर	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर की स्थिति	अभ्युक्ति
1	1	06AAxxxxxxxxx1ZL	गुर्याम (पूर्व)	2020-21	86,73,83,830	20,83,82,245		9	65,90,01,585	11,86,20,285.30	1836739	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम को कस्टोडियन मानकों के अनुसार राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है, हालांकि जीएसटी कानून के अनुसार कर का भुगतान आपूर्ति के समय के आधार पर किया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कस्टोडियन मानकों से प्राप्त अग्रिम राजशि पर देय कर का भुगतान नहीं किया है।
	2	06AAxxxxxxxxx1ZL	गुर्याम (पूर्व)	2021-22	32,94,65,000	6,02,28,459			26,92,36,541	4,84,62,577.38	1836739	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम को कस्टोडियन मानकों के अनुसार राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है, हालांकि जीएसटी कानून के अनुसार कर का भुगतान आपूर्ति के समय के आधार पर किया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कस्टोडियन मानकों से प्राप्त अग्रिम राजशि पर देय कर का भुगतान नहीं किया है।
2	3	06AAxxxxxxxxxG1ZP	गुर्याम (पूर्व)	2020-21	9,99,16,24,416	99,99,29,309			8,99,16,95,107	1,61,85,05,119.26	1836753	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि अग्रिम संबंधित पक्षों से ऋण के रूप में प्राप्त हुआ था और इस जीएसटी अधिनियम के तहत पर जीएसटी लागू नहीं होता है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संबंधित पक्षों से प्राप्त अग्रिम के तहत पर जीएसटी लागू नहीं होता है।

क्र.सं.	कर्मचारी की संख्या	जो.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	बैलेंस शीट या बही के अनुसार अग्रिम	रिटर्न में घोषित अग्रिम	अग्रिम जिस पर जीएसटीआर-1 (11ए-11बी) के अनुसार कर देय था	अग्रिम जिस पर जीएसटीआर-9(4एफ) में कर का भुगतान किया गया	करायोज राशि	18 प्रतिशत की दर पर कर	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर की स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4		06AAxxxxxxxxG1ZP	गुरग्राम (पूर्व)	2021-22	11,31,43,68,000	1,18,09,75,286			10,13,33,92,714	1,82,40,10,688.52	ओ.बी.एस.- 1836753	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि अग्रिम संबंधित पक्षों से ऋण के रूप में प्राप्त हुआ था और इस पर जीएसटी लागू नहीं होता है।	उत्तर के समर्थन में ऐसे कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए जो यह सिद्ध कर सकें कि ये अग्रिम संबंधित पक्षों से प्राप्त ऋण थे, और न ही वित्तीय विवरणों में अन्य चालू देयताओं की अनुसूची के तहत ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के रूप में दर्शाई गई राशि का स्पष्टीकरण दिया गया।
3	5	06AAxxxxxxxxG1Z9	झिवानी	2020-21	3,86,874	0			3,86,874	69,637.32	ओ.बी.एस.- 1894289	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि कस्टमर को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, कस्टमर के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्राधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत
6		06AAxxxxxxxxG1Z9	झिवानी	2021-22	6,65,802	0			6,65,802	1,19,844.36	ओ.बी.एस.- 1894289	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि कस्टमर को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, कस्टमर के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्राधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत
4	7	06AAxxxxxxxxD1ZQ	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21			78,54,693	5,66,557	72,88,136	13,11,864.48	ओ.बी.एस.- 1893901	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि संशोधनों पर विचार नहीं किया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है; अंगरूत 2020 और जुलाई 2021 के जीएसटीआर-1 की क्रॉस जांच की गई है, जिसमें कस्टमर के दावे को प्रभावी बनाने वाला कोई उपयुक्त संशोधन नहीं पाया गया है।
									20,06,16,66,759	3,61,11,00,017			

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.7.2 (ख) (ii); पृष्ठ 25)

करयोग्य टर्नओवर को छिपाने के कारण भुगतान न की गई कर देयता

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	वही के अनुसार किया गया कार्य/ जीएसटीआर-3बी के अनुसार करयोग्य टर्नओवर	जीएसटीआर 9 के अनुसार क्रेडिट नोट और छूट प्राप्त आपूर्ति सहित टर्नओवर	करयोग्य टर्नओवर में छिपाव	18 प्रतिशत की दर पर कर	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर की स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	06AAxxxxxxxN1ZW	फरीदाबाद (पूर्व)	2021-22	3,46,73,65,170	3,38,60,79,796	8,12,85,374	1,46,31,367	ओ.बी.एस.-1894048	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया गया था। मामले को संवीक्षा और मूल्यांकन के लिए लिया गया था। करदाता को जीएसटी एसएमटी-10 के रूप में नोटिस जारी किया गया था।	स्वीकृत
2	2	06AAxxxxxxxG1GL	गुर्याम (पूर्व)	2020-21	12,48,42,339	10,07,62,675	2,40,79,664	43,34,340	ओ.बी.एस.-1826657	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 में घोषित और भुगतान की गई कर देयता में कोई विसंगति नहीं है।	उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि करदाता ने जीएसटीआर-1 में डेबिट/क्रेडिट नोट को शून्य दर्शाया है।
					3,59,22,07,509	3,48,68,42,471	10,53,65,038	1,89,65,707			

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.7.2 (ख) (iii); पृष्ठ 26)

अचल परिसंपत्तियों पर भुगतान न की गई कर देयता

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	अचल परिसंपत्तियों (संयंत्र एवं मशीनरी) का निपटान	18 प्रतिशत की दर पर कर	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर की स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	06AAXXXXXXXN1ZW	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	2,03,15,990	36,56,878	ओ.बी.एस.-1894026	इस राशि के संबंध में विभाग से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई।	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
	2	06AAXXXXXXXN1ZW	फरीदाबाद (पूर्व)	2021-22	2,95,38,316	53,16,897	ओ.बी.एस.-1894026	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया गया था। मामले को संवीक्षा और मूल्यांकन के लिए लिया गया था। करदाता को जीएसटी एएसएमटी-10 के रूप में नोटिस जारी किया गया था।	स्वीकृत
					4,98,54,306	89,73,775			

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.7.2 (ग); पृष्ठ 27)

आर.सी.एम. के तहत कानूनी और पेशेवर प्रभावों/रॉयल्टी/माल दुलाई प्रभावों पर कर का भुगतान न करना/कम भुगतान करना

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	कानूनी और पेशेवर प्रभाव	रॉयल्टी	माल दुलाई प्रभाव	कुल कर योग्य राशि	राशि जिस पर जीएसटीआर-9सी (तालिका 9) के अनुसार 18% की दर से आरसीएम का भुगतान किया गया	अंतर	कर का कम भुगतान	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर के पश्चात अंतर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10	11=10-9	12=11*18%	13	14	15
1	1	06AAxxxxxxxxG1Z9	भिवानी	2020-21	5,30,000		12,14,290	17,44,290	0	17,44,290	3,13,972	ओ.बी.एस.-1894304/ओ.बी.एस.-1894299	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, करदाता के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत
2	2	06AAxxxxxxxxG1Z9	भिवानी	2021-22	14,89,065		26,30,206	41,19,271	0	41,19,271	7,41,469	ओ.बी.एस.-1894304/ओ.बी.एस.-1894299	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, करदाता के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत
2	3	06AAxxxxxxxxN1ZW	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	1,05,14,604	1,50,94,278		2,56,08,882	29,37,205	2,26,71,677	40,80,902	ओ.बी.एस.-1894015/ओ.बी.एस.-1893995	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया गया था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के मामले को हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 61 के तहत संवीक्षा के लिए लिया गया है और करदाता को जीएसटी एक्सएमटी-10 के रूप में नोटिस जारी किया गया है। अंतिम परिणाम से यथासमय अवगत करा दिया जाएगा।	स्वीकृत
	4	06AAxxxxxxxxN1ZW	फरीदाबाद (पूर्व)	2021-22	22,29,565	98,80,365		1,21,09,930	48,50,726	72,59,204	13,06,657	ओ.बी.एस.-1894015/ओ.बी.एस.-1893995	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया गया था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के मामले को हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 61 के तहत संवीक्षा के लिए लिया गया है और करदाता को जीएसटी एक्सएमटी-10 के रूप में नोटिस जारी किया गया है। अंतिम परिणाम से यथासमय अवगत करा दिया जाएगा।	स्वीकृत
					1,47,63,234	2,49,74,643	38,44,496	4,35,82,373	77,87,941	3,57,94,432	64,42,998			

परिशिष्ट-2.8
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.7.3 (क); पृष्ठ 28)
आई.टी.सी. का रिवर्सल न करना/कम रिवर्सल करना

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	जीएसटीआर 9 की तालिका 5एन के अनुसार करयोग्य टर्नओवर	जीएसटीआर 9 की तालिका 5डी के अनुसार कर-मुक्त/शून्य दर वाली आपूर्ति	जीएसटीआर 9 की तालिका 6ए के अनुसार दवा किया गया आईटीसी	आईटीसी जिसे रिवर्स किया जाना है	नियम 42 एवं 43 के अनुसार जीएसटीआर-3बी (तालिका 4बी(1)) के तहत रिवर्स किया गया आईटीसी	आईटीसी का कम रिवर्सल	ओ.बी.एस. संख्या	विभाग का उत्तर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8/6	10	11=10-9	12	13	14
1	1	06AAxxxxxxxxG1Z9	भिवानी	2020-21	83,06,00,330	93,28,760	13,53,97,756	15,20,699	0	15,20,699	ओ.बी.एस.-1894308	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, करदाता के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत
2	2	06AAxxxxxxxxG1Z9	भिवानी	2021-22	82,60,10,424	89,13,867	13,86,55,012	14,96,291	0	14,96,291	ओ.बी.एस.-1894317	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, करदाता के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत
2	3	06AXxxxxxxxxN1Z8	भिवानी	2020-21	29,81,82,196	61,80,200	3,19,52,007	6,62,245	0	6,62,245	ओ.बी.एस.-1894328	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, करदाता के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत
4	4	06AXxxxxxxxxN1Z8	भिवानी	2021-22	20,95,57,528	44,78,733	1,95,89,597	4,18,675	0	4,18,675	ओ.बी.एस.-1894335	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, करदाता के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत
3	5	06AAxxxxxxxxN1ZW	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	2,14,60,10,209	2,38,90,280	22,90,27,286	25,49,627	0	25,49,627	ओ.बी.एस.-1894017	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया गया था। हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 61 के तहत मामले को संवीक्षा मूल्यांकन के लिए लिया गया है और जीएसटी एएसएमटी-10 के रूप में नोटिस जारी किया गया है।	स्वीकृत
					4,31,03,60,687	5,27,91,840	55,46,21,658	66,47,539	0	66,47,539			

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.8.2; पृष्ठ 30)

ब्याज का भुगतान न करना/कम भुगतान

क्रमांक	कदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	विलंबित रिटर्न (जीएसटीआर-3बी) की संख्या	दिनों में विलंब (रेंज)		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	ब्याज	जीएसटीआर-3बी के अनुसार भुगतान किया गया ब्याज	ब्याज का कम भुगतान	वसूल की गई राशि	ओ.बी.एस. संख्या	विभाग का उत्तर	अभ्युक्ति
						न्यूनतम	अधिकतम												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 7+8+9+10	12	13	14	15	16	17	18
1	1	06AAxxxxxxxG1ZP	गुस्थाम (पूर्व)	5	5	36	82,074	25,20,88,548	25,20,88,549	0	50,42,59,171	38,40,488	0	38,40,488.00			ओ.बी.एस.-1836751	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज कदाता द्वारा जमा कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, धारा 65 के तहत लेखापरीक्षा आयोजित करके मामले की जांच की जाएगी।	स्वीकृत
2	2	06AAxxxxxxxG1ZY	गुस्थाम (दक्षिण)	2	13	36	2,36,744	50,70,783	4,28,76,088	0	4,81,83,615	3,09,049	0	3,09,049.16	2,85,105		ओ.बी.एस.-1820066	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि आपत्ति स्वीकार कर ली गई है और कदाता से वसूली कर ली गई है।	स्वीकृत
3	3	06AAxxxxxxxG1Z9	भिवानी	17	3	62	15,442	1,31,99,731	1,32,08,555	0	2,64,23,728	3,40,963	0	3,40,963.00			ओ.बी.एस.-1894207	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि कदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, कदाता के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत

करदाताओं की संख्या	मासों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	विलंबित रिटर्न (जीएसटीआर-3बी) की संख्या	दिनों में विलंब (रैंज)			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	ब्याज	जीएसटीआर-3बी के अनुसार भुगतान किया गया ब्याज	ब्याज का कम भुगतान	वसूल की गई राशि	ओ.बी.एस. संख्या	विभाग का उत्तर	अभ्युक्ति
					न्यूनतम	5	6	7	8	9	10	11= 7+8+9+10	12	13	14	15	16	17	18
4	4	06AXxxxxxxN1Z8	मिचानी	5	6	65	0	17,81,507	40,20,114	0	58,01,621	32,706	0	32,706.00			ओ.बी.एस.-1894240	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, करदाता के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्राधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत
5	5	06AXxxxxxxQ1Z5	मिचानी	3	14	74	0	3,44,331	3,44,331	0	6,88,662	12,453	0	12,453.00			ओ.बी.एस.-1894283	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया है।	स्वीकृत
6	6	06AXxxxxxxJ1ZS	सोनीपत	5	1	41	0	14,33,688	22,67,456		37,01,144	47,209	0	47,209.00		21,585	ओ.बी.एस.-1863523	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि आपति स्वीकार कर ली गई है और करदाता से वसूली कर ली गई है।	स्वीकृत
7	7	06AXxxxxxxM2ZN	फरीदाबाद (पूर्व)	10	1	78	40,859	61,60,279	1,02,62,358	0	1,64,63,496	1,35,802	81,543	54,259.00		22,668	ओ.बी.एस.-1893269	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि ब्याज की राशि की पुनर्गणना कर ली गई है और देय राशि जमा कर दी गई है। तथ्यों का सत्यापन कर लिया गया है। अब इस लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।	स्वीकृत

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	विलंबित रिटर्न (जीएसटीआई-3बी) की संख्या	दिनों में विलंब (रैंज)		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	ब्याज	जीएसटीआई-3बी के अनुसार भुगतान किया गया ब्याज	ब्याज का कम भुगतान	वसूल की गई राशि	ओ.बी.एस. संख्या	विभाग का उत्तर	अभ्युक्ति
					न्यूनतम	अधिकतम												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 7+8+9+10	12	13	14	15	16	17	18
8	8	06AAXXXXXD1ZQ	फरीदाबाद (पूर्व)	7	1	37	11,303	24,73,545	76,13,939	0	1,00,98,787	23,789	0	23,789.00	19,565	ओ.बी.एस.-1893884	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि ब्याज की राशि को पुनर्गणना कर ले गई है और देय राशि जमा कर दी गई है। तथ्यों का सत्यापन कर लिया गया है। अब इस लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।	स्वीकृत
9	9	06AAXXXXXR1ZH	फरीदाबाद (पूर्व)	2	1	46	0	3,35,602	8,43,352	0	11,78,954	16,649	0	16,649.00	16,650	ओ.बी.एस.-1893910	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि आपति स्वीकार कर ले गई है और कस्टता से वसूली कर ले गई है।	स्वीकृत
10	10	06AAXXXXXG1Z5	हिसार	2	14	19	0	17,31,997	17,31,997	0	34,63,994	20,318	0	20,318.00	20,318	ओ.बी.एस.-1893656	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2020) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया गया है और वांछित राशि कस्टता द्वारा दिनांक 02.05.2025 के डीआरसी-03 के माध्यम से जमा कर दी गई है।	स्वीकृत
11	11	06ABXXXXXXK1ZJ	हिसार	7	1	38	47,811	14,61,451	17,94,793	0	33,04,055	15,526	0	15,526.00	15,526	ओ.बी.एस.-1893668	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2020) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया गया है और वांछित राशि कस्टता द्वारा दिनांक 30.04.2025 के डीआरसी-03 के माध्यम से जमा कर दी गई है।	स्वीकृत
				65								47,94,952		47,13,409.16	4,01,417			

परिशिष्ट-2.11

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.8.3; पृष्ठ 30)

जी.एस.टी.आर.-2ए और जी.एस.टी.आर.-3बी में विसंगति के कारण आई.टी.सी. का अधिक लाभ उठाना

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	जीएसटीआर-3बी के अनुसार आईटीसी	जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध आईटीसी (तालिका 3 + तालिका 4 + तालिका 5 + तालिका 6)	अंतर	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10	11
1	1	06AAxxxxxxA1ZR	अंबाला	2021-22	17,75,15,733	13,52,00,568	4,23,15,165	ओ.बी.एस.-1885409	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया गया है और चूंकि करदाता भारत सरकार की एक सहायक कंपनी है, इसलिए वर्ष 2021-22 के मामले को संवीक्षा के लिए लिया गया है।	स्वीकृत
2	2	06BDxxxxxxxC1Z0	अंबाला	2020-21	41,74,712	37,54,383	4,20,329	ओ.बी.एस.-1885429	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि पैरा को स्वीकार कर लिया गया है। वर्ष 2020-21 के मामले को पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने हेतु इस कार्यालय के जापन संख्या 594, दिनांक 22.05.2025 के माध्यम से पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजा जा रहा है।	स्वीकृत
					18,16,90,445	13,89,54,951	4,27,35,494			

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.8.3; पृष्ठ 31)

जी.एस.टी.आर.-9 कॉलम-8डी में विसंगति के कारण आई.टी.सी. का अधिक लाभ उठाना

क्रमांक	कामवाही की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	आर9 8ए (जी.एस.टी.आर. 2ए के अनुसार आई.टी.सी.)	आर9 (8बी+8सी)	अंतर (आर9 8डी=8ए- (8बी+8सी))	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9	10	11
1	1	06ADxxxxxxxL1ZM	गुस्वाम (दक्षिण)	2020-21	69,49,865	72,19,946	2,70,081	ओ.बी.एस.- 1822095	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए करदाता का यह तर्क है कि लेखापरीक्षा में वित्तीय वर्ष 2019-20 के जीएसटीआर 9 की तालिका 8सी के आईटीसी और वित्तीय वर्ष 2020-21 के जीएसटीआर 9 की तालिका 12 और 7 में दर्शाए गए आईटीसी रिवर्सल पर विचार नहीं किया गया है।	तथ्यों और आंकड़ों का सत्यापन कर लिया गया है और उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया है। तालिका 12 में उन आंकड़ों का विवरण होता है जो पिछले वित्तीय वर्ष में लिए गए आईटीसी के रिवर्सल का कुल मूल्य है, जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर तक के रिटर्न में या पिछले वित्तीय वर्ष के वार्षिक रिटर्न भरने की तारीख, जो भी पहले हो, तक रिवर्स किया गया हो। इन विवरणों को भरने के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी की तालिका 4(बी) का उपयोग किया जा सकता है। जब वर्ष 2021-22 के जीएसटीआर 3बी की तालिका 4(बी) से मिलान किया गया, तो रिवर्सल केवल ₹ 9,047/- पाया गया, न कि वह राशि जिसका दावा वित्तीय वर्ष 2020-21 के जीएसटीआर 9 की तालिका में किया गया था। अतः, यह पैरा यथावत रहेगा।
2	2	06AXxxxxxxxATZR	अंबाला	2020-21	27,79,15,450	28,39,13,168	59,97,718	ओ.बी.एस.- 1885414	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि मांग सूचित कर दी गई है।	स्वीकृत
3	3	06AXxxxxxxxN1Z8	भिवानी	2020-21	3,29,29,632	3,32,30,251	3,00,619	ओ.बी.एस.- 1894213	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, करदाता के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत
	4	06AXxxxxxxxN1Z8	भिवानी	2021-22	1,87,23,330	1,97,37,570	10,14,240	ओ.बी.एस.- 1894213	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, करदाता के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	आर9 8ए (जी.एस.टी.आर. 2ए के अनुसार आई.टी.सी.)	आर9 (8बी+8सी)	अंतर [आर9 8डी=8ए- (8बी+8सी)]	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9	10	11
4	5	06AAXXXXXXXXNIZW	फरीदाबाद (पूर्व)	2021-22	36,04,45,344	36,68,81,974	64,36,630	ओ.बी.एस.- 1893842	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, एसएमटी-10 के रूप में नोटिस जारी कर दिया गया है।	स्वीकृत
					69,69,63,622	71,09,82,909	1,40,19,287			

विसंगतियों की पहचान की गई			विभाग द्वारा की गई कार्रवाई		विभाग का उत्तर प्रतिक्षित है / खंडन किया गया	
करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	₹ करोड़ में	स्वीकृत मामलों की संख्या	₹ करोड़ में	मामलों की संख्या	₹ करोड़ में
4	5	1.4	4	1.37	1	0.03

परिशिष्ट-2.13
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.8.3; पृष्ठ 31)
जी.एस.टी.आर.-9 कॉलम-6जे में विसंगति के कारण आई.टी.सी. का अधिक लाभ उठाना

क्र.सं.	कदताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	आर9 (6ए)	आर9(6आई)	अंतर आर9(6जे)	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर	अभ्युक्ति
1	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10	11
1	1	1	06AAxxxxxxx1ZY	गुर्याम (दक्षिण)	2021-22	1,06,98,67,583	1,06,35,15,961	63,51,622	ओ.बी.एस.-1818407	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि ₹ 18.12 लाख के लिए पैरा को स्वीकार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मामले को संवीक्षा मूल्यांकन हेतु चुना गया है।	स्वीकृत
2	2	2	06AAxxxxxxx1ZL	गुर्याम (पूर्व)	2020-21	2,17,17,288	1,76,00,399	41,16,889	ओ.बी.एस.-1836729	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि विभाग द्वारा कदताओं को समन जारी कर बुलाया गया है।	स्वीकृत
3	3	3	06AAxxxxxxx1ZL	गुर्याम (पूर्व)	2021-22	5,78,25,511	4,12,16,476	1,66,09,035	ओ.बी.एस.-1836729	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि विभाग द्वारा कदताओं को समन जारी कर बुलाया गया है।	स्वीकृत
3	4	4	06AAxxxxxxxG1ZP	गुर्याम (पूर्व)	2020-21	33,42,58,891	20,45,45,631	12,97,13,260	ओ.बी.एस.-1836740	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि लेखापरीक्षा द्वारा रिवर्सल पर विचार नहीं किया गया है और किसी भी अतिरिक्त आईटीसी का लाभ नहीं उठाया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कदता ने अधिसूचना संख्या 03/2019 की प्रविष्टि (ए) और (डी) के अनुसार कयोग्य राशि पर स्वीकार्य रूप से 7.50 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया है, जिस पर आईटीसी उपलब्ध नहीं था और इसे आनुपातिक रूप से रिवर्स किया जाना था। जीएसटीआर-9 की तालिका 6जे में अंतर का कारण यह है कि कदता ने जीएसटीआर 3बी में अधिक आईटीसी का लाभ उठाया है, जैसा कि तालिका 6ए में दर्शाया गया है, जिसके लिए तालिका 6बी से 6एच में वर्गीकरण नहीं दिया गया था, अतः कदता द्वारा अतिरिक्त आईटीसी का लाभ उठाया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कदता ने अधिसूचना संख्या 03/2019 की प्रविष्टि (ए) और (डी) के अनुसार कयोग्य राशि पर स्वीकार्य रूप से 7.50 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया है, जिस पर आईटीसी उपलब्ध नहीं था और इसे आनुपातिक रूप से रिवर्स किया जाना था। जीएसटीआर-9 की तालिका 6जे में अंतर का कारण यह है कि कदता ने जीएसटीआर 3बी में अधिक आईटीसी का लाभ उठाया है, जैसा कि तालिका 6ए में दर्शाया गया है, जिसके लिए तालिका 6बी से 6एच में वर्गीकरण नहीं दिया गया था, अतः कदता द्वारा अतिरिक्त आईटीसी का लाभ उठाया गया है।
	5	5	06AAxxxxxxxG1ZP	गुर्याम (पूर्व)	2021-22	41,78,97,472	33,98,66,637	7,80,30,835	ओ.बी.एस.-1836740	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि लेखापरीक्षा द्वारा रिवर्सल पर विचार नहीं किया गया है और किसी भी अतिरिक्त आईटीसी का लाभ नहीं उठाया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कदता ने अधिसूचना संख्या 03/2019 की प्रविष्टि (ए) और (डी) के अनुसार कयोग्य राशि पर स्वीकार्य रूप से 7.50 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया है, जिस पर आईटीसी उपलब्ध नहीं था और इसे आनुपातिक रूप से रिवर्स किया जाना था। जीएसटीआर-9 की तालिका 6जे में अंतर का कारण यह है कि कदता ने जीएसटीआर 3बी में अधिक आईटीसी का लाभ उठाया है, जैसा कि तालिका 6ए में दर्शाया गया है, जिसके लिए तालिका 6बी से 6एच में वर्गीकरण नहीं दिया गया था, अतः कदता द्वारा अतिरिक्त आईटीसी का लाभ उठाया गया है।

क्र.सं.	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	आर9 (6ए)	आर9(6आई)	अंतर आर9(6जी)	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10	11
4	6	06AAxxxxxxxA1ZR	अंबाला	2020-21	25,71,33,003	24,13,19,639	1,58,13,364	ओ.बी.एस.- 1885417	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि पैरा को स्वीकार कर लिया गया है। वर्ष 2020-21 के मामले को पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिया गया है। साथ ही, वर्ष 2021-22 के लिए कस्टोडियन के मामले को संवीक्षा मूल्यांकन हेतु लिया गया है।	स्वीकृत
	7	06AAxxxxxxxA1ZR	अंबाला	2021-22	18,47,31,490	13,71,41,358	4,75,90,132	ओ.बी.एस.- 1885417	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि पैरा को स्वीकार कर लिया गया है। वर्ष 2020-21 के मामले को पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिया गया है। साथ ही, वर्ष 2021-22 के लिए कस्टोडियन के मामले को संवीक्षा मूल्यांकन हेतु लिया गया है।	स्वीकृत
5	8	06BDxxxxxxxG120	अंबाला	2020-21	40,37,383	32,97,996	7,39,387	ओ.बी.एस.- 1885438	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि पैरा को स्वीकार कर लिया गया है। वर्ष 2020-21 के मामले को पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने हेतु जापन संख्या 591, दिनांक 22.05.2025 के माध्यम से पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिया गया है।	स्वीकृत
	9	06BDxxxxxxxG120	अंबाला	2021-22	36,48,507	36,42,928	5,579	ओ.बी.एस.- 1885438	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि पैरा को स्वीकार कर लिया गया है, और हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 61 के तहत कार्यवाही शुरू करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु मामले को संयुक्त आवकरी एवं कराधान आयुक्त (पुनरीक्षण), अंबाला के पास भेज दिया गया है।	स्वीकृत
6	10	06AAxxxxxxxG129	झिवानी	2020-21	13,53,97,758	13,50,15,684	3,82,074	ओ.बी.एस.- 1894192	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि कस्टोडियन को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, कस्टोडियन के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत
	11	06AAxxxxxxxG129	झिवानी	2021-22	13,86,55,013	13,64,90,803	21,64,210	ओ.बी.एस.- 1894192	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि कस्टोडियन को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, कस्टोडियन के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	आर9 (6ए)	आर9(6आई)	अंतर आर9(6जे)	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10	11
7	12	06AAxxxxxxxM2ZN	फरीदबाद (पूर्व)	2020-21	2,81,96,645	2,81,89,513	7,132	ओ.बी.एस.- 1892567	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि जीएसटीआर-9 की तालिका 6जे में अंतर क्रमशः वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए दावा किए गए आईटीसी के कारण है।	विभागीय उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि करदाता के पास वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटीआर-9 की तालिका 8डी में ₹ 1,19,451/- और वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹ 64,322/- की राशि का अंतर था। इन राशियों को करदाता द्वारा रिवर्स किया जाना चाहिए था।
13		06AAxxxxxxxM2ZN	फरीदबाद (पूर्व)	2021-22	2,01,55,853	1,76,46,401	25,09,452	ओ.बी.एस.- 1892567	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि जीएसटीआर-9 की तालिका 6जे में अंतर क्रमशः वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए दावा किए गए आईटीसी के कारण है।	विभागीय उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि करदाता के पास वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटीआर-9 की तालिका 8डी में ₹ 1,19,451/- और वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹ 64,322/- की राशि का अंतर था। इन राशियों को करदाता द्वारा रिवर्स किया जाना चाहिए था।
8	14	06AAxxxxxxxM1Z5	फरीदबाद (पूर्व)	2021-22	14,70,117	11,18,433	3,51,684	ओ.बी.एस.- 1893887	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया गया है। मामले को संवीक्षा और मूल्यांकन के लिए चुना गया है।	स्वीकृत
					2,67,49,92,514	2,37,06,07,859	30,43,84,655			

विसंगतियों की पहचान की गई				विभाग द्वारा की गई कार्रवाई		विभाग का उत्तर प्रतिक्रित है / खंडन किया गया	
करदाताओं की संख्या		मामलों की संख्या		₹ करोड़ में		₹ करोड़ में	
8		14		30.44		9.41	21.03
						4	

परिशिष्ट-2.14

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.8.3; पृष्ठ 31)

जी.एस.टी.आर.-2ए और जी.एस.टी.आर.-9 (कॉलम 8ए) में विसंगति के कारण आई.टी.सी. का अधिक लाभ उठाना

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	आर9 8ए (जीएसटीआर-2ए के अनुसार आई.टी.सी.) ऑफ़ डूल किट से लिए गए हैं	आर2ए के अनुसार लिया गया आईटीसी ऑफ़ डूल किट से लिए गए हैं	अंतर (आर9 8ए - आर2ए)	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9	10	11
1	1	06BDxxxxxxC1Z0	अंबाला	2020-21	34,35,444.18	34,63,496.00	28,051.82	ओ.बी.एस.-1885440	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि पैरा को स्वीकार कर लिया गया है। वर्ष 2020-21 के मामले को पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने हेतु इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या 593, दिनांक 22.05.2025 के माध्यम से पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिया गया है।	स्वीकृत
	2	06BDxxxxxxC1Z1	अंबाला	2021-22	36,56,310.65	36,66,059.00	9,748.35	ओ.बी.एस.-1885440	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि पैरा को स्वीकार कर लिया गया है, और हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 61 के तहत कार्यवाही शुरू करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु मामले को संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (पुनरीक्षण), अंबाला के पास भेज दिया गया है।	स्वीकृत
2	3	06AxxxxxxxG1Z9	भिवानी	2020-21	13,66,28,191.64	13,69,96,047.70	3,67,856.06	ओ.बी.एस.-1894200	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, करदाता के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत
3	4	06AxxxxxxxN1Z8	भिवानी	2020-21	3,29,29,631.71	3,31,85,633.54	2,56,001.83	ओ.बी.एस.-1894228	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, करदाता के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत

कारदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	आर9 8ए (जीएसटीआर-2ए के अनुसार आई.टी.सी.) आकड़े टूल किट से लिए गए हैं	6	आर2ए के अनुसार लिया गया आईटीसी आकड़े टूल किट से लिए गए हैं	7	अंतर (आर9 8ए - आर2ए)	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9	10	11		
4	5	06AAxxxxxxxxM2ZN	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	2,24,35,706.99	2,25,57,901.00	1,22,194.01	ओ.बी.एस.-1892570				विभाग का उत्तर (जून 2025) नियमसंगत नहीं है।
	6	06AAxxxxxxxxM2ZN	फरीदाबाद (पूर्व)	2021-22	1,22,02,761.74	1,22,43,254.57	40,492.83	ओ.बी.एस.-1892570				विभाग का उत्तर (जून 2025) नियमसंगत नहीं है।
5	7	06AAxxxxxxxxN1ZW	फरीदाबाद (पूर्व)	2021-22	36,04,45,344.43	36,63,68,293.00	59,22,948.57	ओ.बी.एस.-1893843				विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया गया है और मामले को संवीक्षा मूल्यांकन के तहत लिया गया है। इसके अतिरिक्त, एएसएमटी-10 के रूप में नोटिस जारी किया गया है।
6	8	06AAxxxxxxxxR1ZH	फरीदाबाद (पूर्व)	2021-22	14,60,467.27	15,25,519.13	65,051.86	ओ.बी.एस.-1893908				विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि आईटीसी को रिवर्स कर दिया गया है।
					57,31,93,858.61	58,00,06,203.94	68,12,345.33					उत्तर तकसंगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के अनुसार आईटीसी को रिवर्स नहीं किया गया है।

विभाग का उत्तर प्रतिक्षित है / खंडन किया गया		
मामलों की संख्या	इ करोड़ में	इ करोड़ में
8	0.68	0.66
	5	3
		0.02

परिशिष्ट-2.15

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.8.3; पृष्ठ 31)

रिटर्न (जी.एस.टी.आर.-1/जी.एस.टी.आर.-3बी/जी.एस.टी.आर.-9) के अनुसार कर देयता की कम घोषणा

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	आर3बी कर का भुगतान किया गया (6.1ए) + जीएसटीआर 9 तालिका 14	आर1 देयता	आर9 देयता तालिका (4एन-4जी+ 10-11)	भुगतान न की गई देयता-आर1 या आर9 (जो भी अधिक हो) - आर3बी	ओ.बी.एस. संख्या	विभाग का उत्तर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 या 8 (जो भी अधिक हो) - 6	10	11	12
1	1	06AAXXXXXXX1ZX	गुर्याम (दक्षिण)	2021-22	97,85,990	1,05,04,895	1,05,04,893	7,18,905	ओ.बी.एस.- 1820091	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि बाहरी कर देयता में अंतर 'ब्रेडिट नोट्स' के समायोजन के कारण है।	उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है।
2	2	06AAXXXXXXXB1ZY	गुर्याम (दक्षिण)	2020-21	1,10,41,18,179	1,10,43,52,512	1,10,41,18,181	2,34,333	ओ.बी.एस.- 1820064	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि करदाता द्वारा रिपोर्ट किए गए जीएसटीआर-1, कर देयता और बी2सी संशोधनों को संग्रान में नहीं लिया गया है।	उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि संशोधन जीएसटीआर-1 में प्रदर्शित नहीं हुआ था।
3	3	06ADXXXXXXXL1ZM	गुर्याम (दक्षिण)	2020-21	74,81,007	74,94,737	74,81,008	13,730	ओ.बी.एस.- 1822207	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि करदाता द्वारा रिपोर्ट किए गए जीएसटीआर-1, कर देयता और बी2सी संशोधनों को संग्रान में नहीं लिया गया है।	उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि संशोधन जीएसटीआर-1 में प्रदर्शित नहीं हुआ था।
4	4	06AAXXXXXXXX1ZL	गुर्याम (पूर्व)	2021-22	10,47,46,670	10,71,99,624	10,58,85,960	24,52,954	ओ.बी.एस.- 1836734	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि जीएसटीआर-1/3बी/9 के अनुसार, कुल कर देयता ₹ 10,62,73,962/- थी।	उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि करदाता ने जीएसटीआर-1 में अपनी देयता ₹ 11,02,27,397/- दिखाई है। तदनुसार, करदाता ने जीएसटी की कम राशि का भुगतान किया है।

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	आर3बी कर का भुगतान किया गया (6.1ए) + जीएसटीआर 9 तालिका 14	आर1 देयता	आर9 देयता तालिका (4एन-4जी+ 10-11)	भुगतान न की गई देयता-आर1 या आर9 (जो भी अधिक हो) - आर3बी	ओ.बी.एस. संख्या	विभाग का उत्तर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 या 8 (जो भी अधिक हो) - 6	10	11	12
5	5	06BDxxxxxxxxC1Z0	अंबाला	2020-21	30,67,451	43,83,699	30,67,449	13,16,248	ओ.बी.एस.- 1885443	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि पैरा स्वीकार कर लिया गया है। वर्ष 2020-21 के मामले को पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने हेतु इस कार्यालय के जापन संख्या 596 दिनांक 22.05.2025 के माध्यम से पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिया गया है।	स्वीकृत
6	6	06BDxxxxxxxxC1Z0	अंबाला	2021-22	33,16,375	34,01,412	34,01,412	85,037	ओ.बी.एस.- 1885443	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि पैरा स्वीकार कर लिया गया है। मामला एचजीएसटी अधिनियम की धारा 61 के तहत कार्यवाही शुरू करने की अनुमति हेतु संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आर) अंबाला के पास भेज दिया गया है।	स्वीकृत
6	7	06AXxxxxxxxxN1Z8	भिवानी	2020-21	3,37,64,256	3,50,40,240	3,50,40,240	12,75,984	ओ.बी.एस.- 1894233	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, करदाता के विरुद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत
								60,97,191			

विभाग द्वारा की गई कार्रवाई			विभाग का उत्तर प्रतिक्रिया है / खंडन किया गया	
मामलों की संख्या	रु करोड़ में	स्वीकृत मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	रु करोड़ में
7	0.61	3	4	0.34
				0.27

परिशिष्ट-2.16

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.8.3; पृष्ठ 31)

आर.सी.एम. के तहत कर का कम भुगतान

करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	जीएसटीआर-2ए में आरसीएम करयोग्य मूल्य	आरसीएम के तहत देय कर	जीएसटीआर-3बी / जीएसटीआर-9 में घोषित आरसीएम करयोग्य मूल्य	जीएसटीआर-3बी में आरसीएम के तहत भुगतान किया गया कर	अंतर	ओ.बी.एस. संख्या	विभाग का उत्तर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-9	11	12	13
1	1	06AAxxxxxxxxxG1ZP	मुख्याम (पूर्व)	2020-21	1,64,95,716	28,72,729	5,30,750	95,536	27,77,193	ओ.बी.एस.-1836750	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि मॉडर्न कंस्ट्रक्शन सर्विसेज नामक आपूर्तिकर्ता ने करदाता को निर्माण सेवाएं प्रदान की हैं, जो आरसीएम के अंतर्गत नहीं आती हैं और आपूर्तिकर्ता ने वास्तव में आरसीएम के तहत कर का भुगतान कर दिया है।	उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि करदाता ने स्वयं जीएसटीआर-2ए में करयोग्य राशि/मूल्य घोषित किया है। तदनुसार, करदाता ने आरसीएम के तहत कर जमा नहीं किया है।
2	2	06AAxxxxxxxxx1ZL	मुख्याम (पूर्व)	2020-21		27,500		0	27,500	ओ.बी.एस.-1836735	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि करदाता को समन जारी कर दिया गया है।	स्वीकृत
	3	06AAxxxxxxxxx1ZL	मुख्याम (पूर्व)	2021-22		1,28,545		0	1,28,545	ओ.बी.एस.-1836735	विभाग ने जून 2025 में उत्तर दिया कि करदाता को समन जारी कर दिया गया है।	स्वीकृत
						30,28,774		95,536	29,33,238			

विसंगतियों की पहचान की गई			विभाग द्वारा की गई कार्रवाई		विभाग का उत्तर प्रतिक्षित है / खंडन किया गया	
करदाताओं की संख्या		मामलों की संख्या	रु करोड़ में		मामलों की संख्या	रु करोड़ में
2		3	0.29		1	0.27

परिशिष्ट-2.17

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9.1; पृष्ठ 33)

संवीक्षा तथा लेखापरीक्षा मामलों की सूची

क्र. सं.	डी.सी.एस.टी. का नाम	2017-18		2018-19	
		संवीक्षा मामले	लेखापरीक्षा मामले	संवीक्षा मामले	लेखापरीक्षा मामले
1	अंबाला	206	19	79	14
2	भिवानी	165	2	71	2
3	फरीदाबाद (पूर्व)	287	18	161	10
4	गुरुग्राम (दक्षिण)	357	27	210	18
5	सोनीपत	461	28	209	11
	योग	1,476	94	730	55
	कुल संवीक्षा मामले	2,206			
	कुल लेखापरीक्षा मामले	149			

परिशिष्ट-2.18

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9.1 (i); पृष्ठ 33)

अभिलेख की संवीक्षा

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	अप्रस्तुतिकरण के लिए ओ.बी.एस. संख्या	संवीक्षा अभिलेखों के लिए ओ.बी.एस. संख्या	एसएमटी-10 आदि के संबंध में सूचना प्रस्तुत की गई
1	2	3	4	5
1	गुरुग्राम (दक्षिण)	ओ.बी.एस.-1822702	ओ.बी.एस.-1758546	नहीं
2	सोनीपत	ओ.बी.एस.-1870698	ओ.बी.एस.-1865294	नहीं
3	अंबाला	ओ.बी.एस.-1899974	क्षेत्रीय दौरे के पूरा होने के बाद संख्या 102 दिनांक 4.04.2025 के माध्यम से सूचित किया गया। इसलिए, ओ.बी.एस. अलग से जारी नहीं किया गया। लेखापरीक्षा का खंडन दिनांक 7.4.2025 को ईमेल के माध्यम से जारी किया गया।	नहीं
4	फरीदाबाद (पूर्व)	ओ.बी.एस.-1892523		नहीं
5	भिवानी	ओ.बी.एस.-1895752		नहीं

परिशिष्ट-2.19

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9.1 (i); पृष्ठ 34)

कार्यात्मक लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का चयन

करदाताओं की संख्या	मामला संख्या	डी.सी.एस.टी. का नाम	वित्तीय वर्ष	जी.एस.टी.आई.एन.
1	1	गुरुग्राम (दक्षिण)	2018-19	06AAxxxxxxxB2ZZ
2	2	गुरुग्राम (दक्षिण)	2018-19	06AAxxxxxxxC1ZX
3	3	गुरुग्राम (दक्षिण)	2018-19	06AAxxxxxxxR1ZD
4	4	गुरुग्राम (दक्षिण)	2018-19	06AAxxxxxxxC1Z1
5	5	गुरुग्राम (दक्षिण)	2017-18	06AAxxxxxxxN1Z8
6	1	अंबाला	2018-19	06AAxxxxxxxC1ZB
7	2	अंबाला	2018-19	06AAxxxxxxxA1ZR
8	3	अंबाला	2018-19	06AAxxxxxxxB1ZA
9	4	अंबाला	2017-18	06AAxxxxxxxP1ZJ
10	5	अंबाला	2018-19	06AAxxxxxxxA1Z0
11	1	सोनीपत	2018-19	06AAxxxxxxxP1ZR
12	2	सोनीपत	2018-19	06AAxxxxxxxP1Z0
13	3	सोनीपत	2017-18	06AAxxxxxxxD1ZI
14	4	सोनीपत	2017-18	06BKxxxxxxxN1ZN
15	5	सोनीपत	2017-18	06AAxxxxxxxH1ZA
16	1	फरीदाबाद (पूर्व)	2018-19	06AAxxxxxxxH1ZU
17	2	फरीदाबाद (पूर्व)	2018-19	06ABxxxxxxxE1ZZ
18	3	फरीदाबाद (पूर्व)	2018-19	06AAxxxxxxxR1ZU
19	4	फरीदाबाद (पूर्व)	2018-19	06AAxxxxxxxN1ZW
20	5	फरीदाबाद (पूर्व)	2017-18	06AAxxxxxxxN1ZW
21	1	भिवानी	2018-19	06AAxxxxxxxM1ZB
22	2	भिवानी	2017-18	06EMxxxxxxxC1Z6
23	3	भिवानी	2018-19	06AZxxxxxxxK1ZV
24	4	भिवानी	2018-19	06AAxxxxxxxD2ZK
25	5	भिवानी	2018-19	06AAxxxxxxxG1ZI

परिशिष्ट-2.20

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9.1 (ii) (क); पृष्ठ 34)

करयोग्य टर्नओवर के छिपाव के कारण कर का कम उद्ग्रहण

करदाता की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	जीएसटीआर-9 की तालिका 4(एनबी) के अनुसार वह करयोग्य आपूर्ति जिस पर कर का भुगतान किया जाना था	जीएसटीआर-1 की तालिका 12 के अनुसार वह करयोग्य आपूर्ति जिस पर कर का भुगतान किया गया था	अंतर	कर	ओ.बी.एस. संख्या	विभाग का उत्तर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	06AAxxxxxxxC1Z1	गुख्याम (दक्षिण)	2018-19	78,77,81,001	52,48,92,419	26,28,88,582	3,15,46,630	ओ.बी.एस.-1741334	करदाता किरायती सोसायटी से संबंधित निर्माण गतिविधियों के विकास में लगा हुआ है, जिसे एचएसएन कोड 72044900 और एसएसी कोड 00440334 के तहत वर्गीकृत किया गया है, जिस पर 12% की जीएसटी दर लागू होती है। वर्तमान मामले में, जीएसटीआर-3बी में घोषित करयोग्य मूल्य में निर्माण सेवाओं के साथ-साथ भूमि घटक से संबंधित प्रतिफल (जो कुल परियोजना मूल्य का 1/3 हिस्सा है) भी शामिल है। इस पद्धति के परिणामस्वरूप कुल प्रतिफल पर 8% की प्रभावी जीएसटी दर लागू होती है, जिसकी गणना कर देयता को केवल निर्माण घटक (कुल मूल्य का 2/3 हिस्सा) पर 12% तक सीमित रखकर की गई है। करदाता ने यह सिद्ध किया है कि यह दृष्टिकोण भूमि और निर्माण सेवाओं से जुड़ी मिश्रित आपूर्ति को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे, विशेष रूप से सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7 और संबंधित मूल्यांकन प्रावधानों के अनुरूप है। जीएसटीआर-3B में, करयोग्य मूल्य में निर्माण सेवाओं पर देय कर के साथ-साथ भूमि का प्रतिफल भी सम्मिलित है, जिसके कारण जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी के बीच विसंगतियां दिखाई दीं। करदाता ने विधिवत रूप से स्थापित किया है कि इस तरह का समावेशन जीएसटी कानूनों के लागू प्रावधानों के अनुपालन में है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग ने सहायक दस्तावेज जैसे कि बिक्री चालान, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अधॉरिटी (हरेरा) द्वारा अविदित लाइसेंस संख्या आदि प्रदान नहीं किए थे, जो यह प्रमाणित करते हैं कि करदाता किरायती आवास परियोजना में कार्यरत था।
				78,77,81,001	52,48,92,419	26,28,88,582	3,15,46,630			

परिशिष्ट-2.21

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9.1 (ii) (ख); पृष्ठ 35)

प्राप्त अगिमें पर कर का अनुद्गहन

करदाता की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	2017-18 के जीएसटीआर-1 की तालिका 11(ए) में प्राप्त अगिम	2017-18 के जीएसटीआर-1 की तालिका 11(ए) में अगिम का समायोजन	2017-18 का असमायोजित अगिम (जीएसटीआर-1 पर आधारित)	बैलेंस शीट के अनुसार अगिम	जीएसटीआर-1 के अनुसार 2018-19 में प्राप्त अगिम	2018-19 के जीएसटीआर-9 के 4एफ में समायोजित	अतिरिक्त समायोजित अगिम/ वह अगिम जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया	18% की दर से कर का कम भुगतान	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर	अध्युक्ति
1	06AAxxxxxxxR1ZU	फरीदाबाद (पूर्व)	2018-19	97,46,724	34,67,763	62,78,961		Nil	1,19,26,049	56,47,088	10,16,475	ओ.बी.एस.- 1892424	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि लेखापरीक्षा अध्युक्ति को स्वीकार कर लिया गया है। करदाता को डीआरसी-01 जारी कर दिया गया है।	स्वीकृत
2	06EMxxxxxxxCI26	भिवानी	2017-18	0	0	0	33,06,221			33,06,221	5,95,119	ओ.बी.एस.- 1895749	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, करदाता के विस्वृद्ध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी।	स्वीकृत
				97,46,724	34,67,763	62,78,961	33,06,221	0	1,19,26,049	89,53,309	16,11,594			

परिशिष्ट-2.22

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9.1 (ii) (ग); पृष्ठ 36)

जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 5आर/7जी में असमायोजित टर्नओवर/कर योग्य टर्नओवर

करदाता की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	असमायोजित टर्नओवर	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर की स्थिति	अभ्युक्ति
1	06AAxxxxxxxxxC1ZB	अंबाला	2018-19	15,44,45,149	ओ.बी.एस.- 1899972	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि वर्ष 2018-19 के मामले को पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिया गया है।	स्वीकृत
2	06AAxxxxxxxxxB1ZA	अंबाला	2018-19	15,44,45,149	ओ.बी.एस.- 1899973	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि वर्ष 2018-19 के मामले को पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिया गया है।	स्वीकृत
				₹ 30,88,90,298			

परिशिष्ट-2.23

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9.1 (ii) (घ); पृष्ठ 37)

डी.आर.सी. 01 और डी.आर.सी. 05 के मध्य अंतर

करदाता की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	अभ्युक्ति	ब्याज				पेनल्टी		विलंब फीस		कुल राशि	ओ.बी.एस.	विभाग का उत्तर	अभ्युक्ति
					आई.जी.एस.टी.	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सीजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी				
1	06AAxxxxxxC1Z1	गुरुग्राम (दक्षिण)	2018-19	जीएसटीआर-3बी को डेरी से फाइल करने पर ब्याज और विलंब फीस	3,257	799	5,19,615	0	0	0	36,850	36,850	5,97,371	ओ.बी.एस.-1741340	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि विवादित विसंगतियों पर स्पष्टीकरण मांगने हेतु करदाता को सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 70 के तहत विधिवत समन जारी किया गया है।	स्वीकृत
				जीएसटीआर-9 और 3बी में देयता के अंतर पर ब्याज	0	47,268	47,268	0	0	0	0	0	94,536	ओ.बी.एस.-1741340		
				जीएसटीआर-9सी को डेरी से फाइल करने पर सामान्य पेनल्टी	0	0	0	25,000	25,000	0	0	0	50,000	ओ.बी.एस.-1741340		
					₹ 3,257	₹ 48,067	₹ 5,66,883	₹ 25,000	₹ 25,000	₹ 25,000	₹ 36,850	₹ 36,850	₹ 7,41,907			

परिशिष्ट-2.24

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9.1 (ii) (ड); पृष्ठ 37)

ब्याज का कम उद्ग्रहण

करदाता की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	दिनों में विलंब (रैंज)		योग	ब्याज	निर्धारण आदेश में प्रसारित ब्याज	अंतर	ओ.बी.एस. संख्या	विभाग का उत्तर	अभ्युक्ति
				न्यूनतम	अधिकतम							
		3		4	5	10=6+7+8+9	11			12		
1	06AAxxxxxxxxC1ZX	गुर्याम (दक्षिण)	2018-19		245	74,24,824	8,97,081		8,97,081	ओ.बी.एस.-1741328	विभाग ने बताया (जून 2025) कि कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।	स्वीकृत
2	06BKxxxxxxxxN1ZN	सोनीपत	2017-18		1,276	33,736	21,228	5,274	15,954	ओ.बी.एस.-1865272	विभाग के दिनांक 08.04.2025 के उत्तर के अनुसार अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया गया है। करदाता को दिनांक 08.04.2025 के डीआरसी-08 (संदर्भ संख्या ZD060425015624M) के माध्यम से सुधार जारी कर दिया गया है।	स्वीकृत
	06BKxxxxxxxxN1ZN	सोनीपत	2017-18		1,276	1,33,71,495	84,14,151	21,22,222	62,91,929	ओ.बी.एस.-1865272		
	06BKxxxxxxxxN1ZN	सोनीपत	2017-18		1,276	1,77,121	1,11,455	1,00,809	10,646	ओ.बी.एस.-1865272		
3	06AAxxxxxxxxP1ZR	सोनीपत	2018-19		288	22,64,326	3,21,596		3,21,596	ओ.बी.एस.-1867439	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि डीआरसी-01 जारी कर दिया गया है।	स्वीकृत
	06AAxxxxxxxxP1ZR	सोनीपत	2018-19		196	71,53,997	6,91,488		6,91,488	ओ.बी.एस.-1867439		
योग						3,04,25,499	1,04,57,000	22,28,305	82,28,695			

परिशिष्ट-2.25

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9.1 (ii) (च); पृष्ठ 40)

अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया

करदाता की संख्या	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	3बी आई.टी.सी. दावा	2ए में आई.टी.सी.	2ए में उपकर	फाइल 2ए (2ए-उपकर)	अंतर 3बी-2ए	ओ.बी.एस. संख्या	उत्तर	अभ्युक्ति
1	06AAXXXXXXXR1ZU	फरीदाबाद (पूर्व)	2018-19	10,92,93,169	10,31,91,798	1,85,593	10,30,06,205	62,86,964	ओ.बी.एस.- 1892424	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया गया है। करदाता को डीआरसी-01 जारी कर दिया गया है। अंतिम परिणाम से यथासमय अवगत करा दिया जाएगा।	स्वीकृत

परिशिष्ट-2.26

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9.2; पृष्ठ 40)

रिटर्न फाइल न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू नहीं की गई

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	सूचना प्रदान की गई	ओ.बी.एस.		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	गुरुग्राम (दक्षिण)	हां	ओ.बी.एस.-1745433	रिटर्न फाइल न करने वालों की संख्या	223	316	78	57
				रिटर्न दाखिल न करने वाले वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर्स	0	0	0	0
				मार्च के अंत तक जारी किए गए नोटिस (जीएसटीआर-3ए) की कुल संख्या	893	743	295	348
				मार्च के अंत तक सर्वोत्तम निर्णय के तहत निर्धारित मामलों की कुल संख्या	0	0	0	0
2	फरीदाबाद (पूर्व)	हां	ओ.बी.एस.-1892523	रिटर्न फाइल न करने वालों की संख्या	153	62	29	74
				रिटर्न दाखिल न करने वाले वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर्स	0	0	0	0
				मार्च के अंत तक जारी किए गए नोटिस (जीएसटीआर-3ए) की कुल संख्या	0	0	0	0
				मार्च के अंत तक सर्वोत्तम निर्णय के तहत निर्धारित मामलों की कुल संख्या	0	0	0	0
3	भिवानी	हां	ओ.बी.एस.-1895752	रिटर्न फाइल न करने वालों की संख्या	426	518	161	295
				रिटर्न दाखिल न करने वाले वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर्स	0	0	0	0
				मार्च के अंत तक जारी किए गए नोटिस (जीएसटीआर-3ए) की कुल संख्या	0	0	0	0
				मार्च के अंत तक सर्वोत्तम निर्णय के तहत निर्धारित मामलों की कुल संख्या	0	0	0	0
4	सोनीपत	हां	ओ.बी.एस.-1865366	रिटर्न फाइल न करने वालों की संख्या	338	139	48	62
				रिटर्न दाखिल न करने वाले वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर्स	0	0	0	0
				मार्च के अंत तक जारी किए गए नोटिस (जीएसटीआर-3ए) की कुल संख्या	641	337	191	260
				मार्च के अंत तक सर्वोत्तम निर्णय के तहत निर्धारित मामलों की कुल संख्या	0	0	0	0
5	अंबाला	हां, क्षेत्रीय टॉरि के पूरा होने के बाद जापन संख्या 102 दिनांक 04.04.2025 के माध्यम से। इसलिए, ओ.बी.एस. अलग से जारी नहीं किया गया। अगले कॉलम में दिया गया ओ.बी.एस. विस्तृत जानकारी/ सूची प्रस्तुत न करने के संबंध में है।	ओ.बी.एस.-1899974	रिटर्न फाइल न करने वालों की संख्या	272	369	25	17
				रिटर्न दाखिल न करने वाले वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर्स	0	0	0	0
				मार्च के अंत तक जारी किए गए नोटिस (जीएसटीआर-3ए) की कुल संख्या	543	657	99	103
				मार्च के अंत तक सर्वोत्तम निर्णय के तहत निर्धारित मामलों की कुल संख्या	0	0	0	0

परिशिष्ट-2.27

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9.3; पृष्ठ 41)

रिफंड दावों के प्रसंस्करण और भुगतान में प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	सूचना प्रदान की गई	ओ.बी.एस. संख्या
1	गुरुग्राम (दक्षिण)	नहीं	ओ.बी.एस.-1758548
2	सोनीपत	नहीं	ओ.बी.एस.-1865363
3	अंबाला	नहीं	ओ.बी.एस.-1899974
4	फरीदाबाद (पूर्व)	नहीं	ओ.बी.एस.-1892523
5	भिवानी	नहीं	ओ.बी.एस.-1895752

परिशिष्ट-2.28

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9.4; पृष्ठ 42)

अभिलेखों का रखरखाव

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	ओ.बी.एस. संख्या
1	2	3
1	गुरुग्राम (दक्षिण)	ओ.बी.एस.-1822702
2	सोनीपत	ओ.बी.एस.-1870698
3	अंबाला	ओ.बी.एस.-1899974
4	फरीदाबाद (पूर्व)	ओ.बी.एस.-1892523
5	भिवानी	ओ.बी.एस.-1895752